

## महिला खेलकूद योजना

1.	योजना का नाम:	महिला खेलकूद योजना
2.	योजना का संक्षिप्त	महिलाओं एव बालिकाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिये पंचायत स्तर, राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।
3.	आरंभ होने का वर्ष:	वर्ष 1975
4.	लाभान्वित वर्ग:	खेलों में रुचि रखने वाली सभी बालिकाएँ
5.	पात्रता	सभी आयु वर्ग की महिला खिलाड़ी
6.	देय सुविधाएँ	प्रतियोगिता में भाग लेने पर खिलाड़ियों को नियमानुसार यात्रा व दैनिक भते का भुगतान किया जाता है।
7.	आवेदन का तरीका	आवेदन की आवश्यकता नहीं अपितु राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित प्रशिक्षण स्थल से उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है।
8.	आवेदन कहाँ किया जावेँ	आवेदन की आवश्यकता नहीं अपितु राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित प्रशिक्षण स्थल से उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जाता है।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	खिलाड़ियों का उदीयमान होना ही मात्र औपचारिकताओं की पूर्ति करता है।

10.	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिले के खेल अधिकारीगण व राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद